

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

विज्ञापन क्रमांक 3.1.4...../सम्पदा/भोविप्रा/26

भोपाल, दिनांक 06/04/2026

भोपाल विकास प्राधिकरण के अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स योजना में प्रकोष्ठ का विक्रय निम्न तालिका में वर्णित होकर ऑन लाईन वेबसाईट [https:// vikaspradhikaran.mponline.gov.in](https://vikaspradhikaran.mponline.gov.in) के माध्यम से ऑफर दि० 07/04/2026 से दि० 22/04/2026 तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑफर/आवेदन पत्र दि० 22/04/2026 को खोले जायेंगे।

क्र०	प्रकोष्ठ/ ईकाईयों का विवरण	प्रकोष्ठ/ ईकाईयों का उपयोग	क्षेत्रफल वर्गमीटर	आरक्षण की श्रेणी अदि आरक्षित हो	प्रकोष्ठ/ ईकाईयो का आरक्षित मूल्य राशि रू०	पट्टे लीज पर या भूमि स्वामी अधिकारो पर व्ययन	पट्टे लीज के प्रकरण में वार्षिक भाडा रू० प्रति प्रकोष्ठ	अमानत की राशि मूल्य की 10 प्रतिशत राशि
1	प्रकोष्ठ क्र०-ई 412 चतुर्थ तल	आवासीय	100.00	सामान्य	30,00,000/-	लीज पर	452/-	3,00,000/-

आवंटन के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होगी :-

1. प्रकोष्ठ का स्थल पर निरीक्षण कर, ही प्रस्ताव प्रस्तुत करे ।
2. प्रकोष्ठ लीजहोल्ड पर विक्रय हेतु निर्धारित है ।
3. समिति शुल्क, सेवा प्रभार की राशि पृथक से देय होगी ।
4. ऑफर स्वीकृति राशि मूल्य का 100 प्रतिशत पंजीयन राशि के समायोजन सहित आवंटन आदेश जारी होने के 45 दिवस के अन्दर निर्धारित समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा
5. प्रकोष्ठ की शेष राशि जमा करने की समयावधि आवंटन आदेशानुसार देय होगी, तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तें मान्य होगी ।
6. आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की सम्पत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि ऑफर मूल्य पर कटौत कर आयकर कार्यालय में जमा कर फार्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
7. किसी भी प्रकार के वाद/विवाद की स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय, भोविप्रा, भोपाल का निर्णय मान्य होगा ।

सम्पदा अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण
भोपाल